चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 13.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 13.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक-13.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरूण कुमार सिंह द्वारा शुक्रवार की परेड की सलामी लेकर अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की उपस्थिति में आकस्मिक परिस्थिति व सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था व समाज में सुरक्षित/भय मुक्त वातावरण बनाने के लिये पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में थाना/चौकी के पुलिस बल द्वारा पुलिस लाइन चित्रकूट में बलवा/दंगा नियंत्रण ड्रिल का पूर्वाभ्यास किया गया।

इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण द्वारा दंगा नियंत्रण ड्रिल की 10 पार्टियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी एवं मुख्य आरक्षी आर्मोरर राम महेश द्वारा एण्टी राइड गन, गैस गन एवं पम्प एक्शन गन को हैण्डलिंग करने एवं प्रयोग करने के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से बताया गया। अधि0/कर्म0गण द्वारा विधि विरूद्ध भीड़ को तितर-बितर करने के लिए रबर बुलेट गन, लाठी चार्ज, अश्रु गैस के गोले, एंटी राइट गन, टीयर स्मॉक गन (गैस गन), हैंड ग्रेनेड, सैल आदि के प्रयोग का पूर्वाभ्यास भी किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान दंगाइयों/बलवाइयों पर प्रयोग करने वाले एंटी राइट गन, टीयर स्मॉक गन, हैंड ग्रेनेड, टीयर स्मोक सेल आदि के प्रयोग के समय बरती जाने वाली सावधानियों एवं इनके प्रयोग करने के तरीके के बारे में अवगत कराया गया ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में सिखलाए गए तरीकों से ऐसी परिस्थितियों का अच्छे से सामना किया जा सकें।

दंगा नियन्त्रण मॉक ड्रिल में क्षेत्राधिकारी लाइन्स/कार्यालय श्री अरविन्द मौर्य, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, क्षेत्राधिकारी राजापुर जय करन सिंह, ,क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु श्री फहद,पीआरओ श्री प्रवीण सिंह एवं समस्त थाना/चौकी प्रभारी मय थाना पुलिस बल के उपस्थित रहे।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्दशन में अवेध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मारदर्शन में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस टीम ने 02 अभियुक्तों से 10 लीटर व 25 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।

(1). चौकी प्रभारी शिवरामपुर उ0नि0 श्री शनि कुमार चतुर्वेदी मय हमराह आरक्षी नरेन्द्र कुमार द्वारा अभियुक्त विक्रम यादव पुत्र स्व0 ननकूराम निवासी ग्राम लौडिया बुजुर्ग थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 25 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(2). उ0नि0 श्री गजबये आलम हमराह आरक्षी विपिन कुमार द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह पुत्र मुलायम सिंह निवासी अगरहुंडा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोत0 कर्वी में धारा 60 आबाकरी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए 02 परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती निशा वर्मा पत्नी बालकेश निवासी गांधीनगर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट द्वारा अपने पति बालकेश, सास चन्दा व ससुर सुन्दरलाल द्वारा प्रार्थिया को गाली गलौज, मारपीट व लड़ाई झगड़ा कर घर से निकालने देना तथा अतिरिक्त दहेज की मांग करने के सम्बन्ध में व आवेदिका श्रीमती रेनुका यादव पुत्री जयराम निवासी ग्राम बरकोट थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा अपने पति सोनू पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी रानीपुर दामपुर थाना धाता जनपद फतेहपुर द्वारा शराब पीकर मारपीट करना तथा व ससुरालीजन द्वारा मारपीट,गाली गलौज कर अतिरिक्त दहेज की मांग करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी, महिला आरक्षी मंजुलता पाल द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय

पक्षों से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में मारपीट,गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा व घर से न निकालने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

<u>समझौता कराने वाली टीमः-</u>

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी

2.महिला आरक्षी मंजुलता पाल

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी,क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में थाना मानिकपुर पुलिस टीम ने 24 घंटे के अन्दर धोखाधड़ी कर लूटने वाले 02 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

अभियुक्त नाम व पताः-

1.राजनारायण पुत्र मोतीलाल निवासी डाड़ी चमरौड़ी थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट

2.जगनारायण पुत्र मुन्नीलाल निवासी डाड़ी चमरौड़ी थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

1.एक अदद मोबाइल रेडमी कम्पनी

2.दोनों अभियुक्तों के कब्जे से 940/- रूपये

गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक व समयः-

दराई तिराहा मराठा पुल के पास थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट, दिनाँक 13.12.2024 समय 11.10 बजे।

संक्षिप्त विवरणः-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 12.12.2024 वादी सुदर्शन पांगी पुत्र श्री बुद्धापांगी निवासी गोविन्दपल्ली नुवागुडा थाना माथली जनपद मलखनगिरी उड़ीसा द्वारा थाना मानिकपुर पर सूचना दी गयी कि दिनाँक 11.12.2024 को मैं व मेरे मामा जनपद चित्रकूट में जेल में बन्द अपने जीजा की जमानत व मिलाई के सम्बन्ध में चित्रकूट आया था। मिलाई के बाद जब हमलोग कारागार से बाहर निकले तो दो लोग जो अपना नाम राजनारायण व जगनारायण ले रहे थे। हम लोगो को कहे कि हम तुम्हारे जीजा की जमानत करा देगें और अपनी मोटर साइकिल पर बैठाकर अपने गांव डाड़ी चमरौड़ी,चुरेह कशेरुवा थाना मानिकपुर ले गये थे। हमलोगो को घर में बन्द करके मारपीट कर जेब में रखे रूपये को छीन लिए और डरा धमकाकर अतिरिक्त पैसे की मांग करने लगे तथा मेरे मोबाइल से फोन पे के माध्यम से कुल 27000/- रूपये अपने मोबाइल में ट्रान्सफर कर लिए। इस सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 223/2024 धारा 318(4),127(7),309(6),308(5),115(2),352,351(2) बीएनएस बनाम राजनारायण, जगनारायण उपरोक्त पंजीकृत किया गया। घटना का तत्काल संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर को अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये। प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर द्वारा उ0नि0 प्रखर सिंह व उनकी टीम को लगाया गया। उ0नि0 व उनकी टीम द्वारा आज दिनाँक 13.12.2024 मुखबिर खास की सूचना पर दराई तिराहा मराठा पुल के पास से अभियुक्त राजनारायण, जगनारायण उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त राजनारायण के जामातलाशी से एक अदद मोबाइल रेडमी व 730/- रूपये व अभियुक्त जगनारायण के कब्जे से 210/- रूपये बरामद हुए। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों से ट्रान्सफर किये पैसे के बारे में कड़ाई से पूछा गया तो बताये

कि जो मोबाइल बरामद किया है उसी में 26400/- रूपये है। 600/- रूपये खर्च हो गये। माल बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 कुंवर प्रखर थाना मानिकपुर
2.उ0नि0 अरविन्द द्विवेदी
3.मुख्य आरक्षी कमलाकान्त द्विवेदी
4.आरक्षी भाष्कर शुक्ला
5.चालक आरक्षी प्रभात दुबे

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय एवं पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला तथा उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 13.12.2024 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 280/2017 25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त धर्मपाल केवट निवासी भिटरिया थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 02 वर्ष के कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 18.07.2017 को वादी तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा अभियुक्त मुन्ना पुत्र धर्मपाल केवट निवासी भिटरिया थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री ब्रह्मदेव यादव को सुपुर्द की गयी। दिनाँक 11.08.2017 को आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।